कार्यालय :– अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, कैम्पा, झारखण्ड, राँची।

वन भवन, डोरण्डा, राँची

e-mail :- apccf-campa@gov.in, Phone No. 0651-2481466 (O)

पत्रांक : 19M(02)CAMPA(2021-22)- 465 **दिनांक :** 01/11/2021.

प्रेषक,

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, कैम्पा
झारखण्ड, राँची।

सेवा में,

वन प्रमण्डल पदाधिकारी, गोड्डा वन प्रमण्डल, गोड्डा।

विषय :– **वित्तीय वर्ष 2021–22 में कार्यान्वित की जाने वाली ''प्रतिकरात्मक वनरोपण'' योजना के अंतर्गत विभिन्न अग्रिम कार्यों के संपादन हेतु कुल रू0 150.00000 लाख (एक करोड़ पचास लाख रूपये) मात्र का उप–आवंटन (Online Sub Allotment)।**

प्रसंगः– 1. विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या – 04/कैम्पा–03/2021 – 08/स्वी0 व0प0 राँची, दिनांक 13.09.2021 एवं विभागीय आवंटन आदेश संख्या – 04/कैम्पा–03/2021 – 26/आ0 व0प0 राँची, दिनांक 16.09.2021

2. इस कार्यालय का पत्रांक 185 दिनांक 13.05.2021, पत्रांक 186 दिनांक 13.05.2021 एवं ज्ञापांक 356 दिनांक 14.09.2021

महाशय,

उपरोक्त विषयक प्रसंगाधीन पत्र के आलोक में बजट मुख्य शीर्ष–2406–वानिकी तथा वन्य प्राणी, उप मुख्य शीर्ष– 04–वनरोपण तथा पारिस्थितिकी विकास, लघु शीर्ष– 103–राज्य प्रतिकरात्मक वनरोपण, **उप शीर्ष– 02–''प्रतिकरात्मक वनरोपण''** के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2021–22 में विभिन्न अग्रिम कार्यों के संपादन हेतु अनुमान्य देय राशि उपबंध के अन्तर्गत स्वीकृत राशि में से **कुल रू0 150.00000 लाख (एक करोड़ पचास लाख रूपये) मात्र** का उप–आवंटन निम्नलिखित इकाईयों में किया जाता है:–

क्र0 सं0	प्राथमिक इकाई	विपत्र कोड	(राशि लाख में)
1	मजदूरी	19S24060410302010103	60.00000
2	आपूर्ति एवं सामग्री	19S24060410302010323	90.00000
		कुल :–	**150.00000**

1. इस राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी उप आवंटन आदेश के **अनुलग्नक–1** पर वर्णित वन प्रमण्डल पदाधिकारी होंगे, जिनके द्वारा राशि की निकासी संबंधित जिले के कोषागार/उप–कोषागार से की जायेगी। निकासी एवं व्ययन पदाधिकारीवार उप–आवंटन का सारांश **अनुलग्नक–2** एवं ऑन लाईन उप–आवंटन की प्रति **अनुलग्नक–3** पर द्रष्टव्य् है।

2. इस योजना के उपरोक्त कोड संख्या को कोषागार से राशि निकासी के लिए प्रस्तुत विपत्रों एवं व्यय प्रतिवेदन में अनिवार्य रूप से अंकित किया जायेगा।

3. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि भारत सरकार द्वारा वन संरक्षण अधिनियम में लगाये गये शर्त्तो के अनुरूप ही सभी कार्यों का सम्पादन किया जाय।

4. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि कैम्पा वार्षिक कार्य योजना में अग्रिम कार्य के लिए स्वीकृत स्थल में परिवर्तन नहीं किया जाय।

5. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि वन संरक्षण अधिनियम में वन भूमि के अपयोजन के क्रम में क्षतिपूरक वनरोपण/दण्डात्मक क्षतिपूरक वनरोपण हेतु भारत सरकार को भेजे गये स्थल प्रस्ताव में परिवर्तन नहीं करेंगे। यह भारत सरकार की अनुमति के पश्चात् ही संभव है। (इस कार्यालय का पत्रांक 274 दिनांक 26.07.2021 का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय)

6. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि स्थल चयन समिति में स्वीकृत स्थल में ही कार्य सम्पादित करायेंगे। क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक द्वारा प्रेषित सूची/ स्थल में परिवर्तन बिना अधोहस्ताक्षरी की अनुमति के बगैर नहीं किया जायेगा। इस संबंध में इस कार्यालय के ज्ञापांक 405 एवं 406 दिनांक 04.10.2021 द्वारा निर्गत पत्र के कंडिका iii (ख) का ध्यान रखेंगे।

7. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि जिस कार्य के लिए राशि उप–आवंटित की जा रही है, उसकी राशि पूर्व में ad-hoc CAMPA account में जमा कर दी गई है।

01/11/2021

स्थानीय बैंक में रखी गई राशि के विरूद्ध किसी भी कार्य को कैम्पा वार्षिक कार्य योजना में प्रस्तावित नहीं किया जाय।

8. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि योजना का कार्यान्वयन स्थल विशिष्ट स्वीकृत प्राक्कलन तथा सक्षम स्तर से प्रदत्त तकनीकी एवं प्रशासनिक स्वीकृति के अनुरुप किया जाएगा। यह प्राक्कलन अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास, झारखण्ड, राँची द्वारा निर्गत योजनावार विभागीय कार्य दर के अनुसार प्राक्कलित राशि के अनुरूप होगा। अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास, झारखण्ड, राँची के किसी योजना के प्राक्कलन से किसी item को निकाल कर अलग योजना का नाम स्वयं नहीं देंगे। अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास, झारखण्ड, राँची द्वारा निर्गत किसी दो योजनाओं के प्राक्कलन से किसी item को निकाल कर अलग प्राक्कलन का निर्माण स्वयं नहीं करेंगे।

9. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि किसी भी परिस्थिति में आवंटित राशि से अधिक की निकासी एवं व्यय नहीं किया जायेगा एवं निर्धारित वित्तीय एवं भौतिक लक्ष्यों का विचलन न हों।

10. अगर संलग्न विवरणी में किसी भी वन प्रमण्डल के पक्ष में प्रदर्शित भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य में कोई विसंगति पायी जाती है, तो कृपया इसे अधोहस्ताक्षरी के संज्ञान में तुरंत लाया जाय ताकि उसका इस वित्तीय वर्ष में निराकरण किया जा सके।

11. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि योजना का कार्यान्वयन स्वीकृत कार्य नियोजना/वन्यजीव प्रबंधन योजना के अनुरूप सम्पादित कराया जायेगा।

12. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि संबंधित परियोजना के शर्त्तीय अनुपालन के तहत् वन भूमि पर सम्पादित कराये जानेवाले कार्यों का क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक के स्तर पर गठित स्थल चयन समिति से अनुमोदन प्राप्त कर कार्य सम्पादित कराया जाय।

13. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि क्षतिपूरक वनरोपण/ दण्डात्मक क्षतिपूरक वनरोपण/शर्त्तीय अनुपालन के तहत् कराये जाने वाले अन्य कार्यों का भी क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक के स्तर पर गठित स्थल चयन समिति से उपयुक्तता तथा FC Act के diversion के समय भारत सरकार द्वारा लगाये गये शर्त्तों के परिपेक्ष्य में उपयुक्तता का ध्यान में रखते हुए कार्य सम्पादन कराया जाय।

14. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि वित्तीय वर्ष 2020–21 तक के कैम्पा वार्षिक कार्य योजना से सम्पादित कराये गये सभी कार्यों से संबंधित सूचनाओं को को e-green watch portal पर upload करने के पश्चात् ही राशि की निकासी/व्यय किया जाय।

15. पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा कैम्पा वार्षिक कार्य योजना 2021–22 के अनुमोदन के क्रम में निम्नलिखित शर्त्तों का अनुपालन सुनिश्चित करने का निदेश दिया गया है –

(i) Utilization of State Compensatory Afforestation Fund (CAF) shall be done in such a manner that at least 80 per cent in used for afforestation forest development and wildlife habitat improvement and maximum 20 per cent be used for infrastructure/capacity building related items.

(ii) The State Authoritites shall ensure that uploading of the correct KML files and geo-coordinates of afforestation and major undertaken during the year 2020-21 along with their photographs (before plantation and after plantation, and thereafter annually) has been completed,

(iii) All concerned officers shall also ensure that there is no overlapping of activities/funding with other schemes and may provide a certificate to that effect.

(iv) Local species, especially fruit and fodder species, has to be given preference in afforestation/regeneration to be carried out; monoculture should not be undertaken, and planting of exotic species shall be avoided.

(v) Soil and moisture conservation work shall be carried out in an integrated manner under watershed approach from "ridge to vally" only in degraded forests. This shall focus on assisted natural regeneration and supplemented by artificial seeding with quantifiable monitoring parameters. Construction of dams, stop dams and ponds and their deepening are to be taken up only if they are a part of an integrated soil and moisture conservation plan of the catchment area. Since

01/11/2021

this component (SWC for regeneration of forests) is a very large work, the efficacy of the design and the activities shall be concurrently monitored by a reputed independent agency. Actions will be, accordingly, taken during the lifetime of each project. The overall imact on improved forest regeneration shall be shared with NAEB (MoEF&CC) on an annual basis.

राज्य सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2021–22 में कार्यान्वित की जानेवाली कैम्पा वार्षिक कार्य योजना के क्रियान्यवन हेतु निर्गत विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या – 04 / कैम्पा–03 / 2021–08 / स्वी0 व0प0 दिनांक 13.09.2021 में अधिरोपित सभी शर्त्तों का दृढ़तापूर्वक अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा, जो निम्नवत है :–

16. (I) स्वीकृत राशि की निकासी वित्त विभागीय पत्रांक 2561 दिनांक 17.04.1998 एवं समय–समय पर वित्त विभाग द्वारा निर्गत परिपत्रों के अनुरूप किया जायेगा।

(II) राशि की निकासी संबंधित जिलों में अवस्थित कोषागार / उप–कोषागार से की जायेगी तथा झारखण्ड कोषागार संहिता के नियम – 174 एवं सभी वित्तीय नियमों का अनुपालन दृढ़तापूर्वक किया जायेगा।

(III) निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि किसी भी परिस्थिति में स्वीकृत राशि से अधिक की निकासी एवं व्यय नहीं किया जायेगा।

17. इस योजना के नियंत्री पदाधिकारी प्रधान मुख्य वन संरक्षक, झारखण्ड, राँची होंगे।

18. अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, कैम्पा के द्वारा योजना कार्यान्वयन का सतत् अनुश्रवण एवं तकनीकी पक्षों पर कार्यान्वयन प्रभाग / कार्यान्वयन एजेन्सी का मार्गदर्शन करना सुनिश्चित करेंगे। अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, कैम्पा नियंत्री पदाधिकारी को सहयोग करेंगे एवं निम्न कार्य पर विशेष ध्यान करेंगें–

(II) योजनांतर्गत प्रत्येक माह हेतु निर्धारित वित्तीय एवं भौतिक लक्ष्य के विरुद्ध प्रगति से वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग को अवगत कराया जायेगा।

(III) नियमित रुप से राशि का व्यय, समायोजन तथा प्रमंडलीय लेखा में प्रवृष्टि की भी समीक्षा करेंगे। ससमय लेखा प्रेषण सुनिश्चित करने की समीक्षा की जायेगी।

(IV) नियमित निर्धारित अन्तराल पर सभी आवश्यक समीक्षा एवं नियमावली में अंकित बैठकों का आयोजन सक्षम स्तर पर अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, कैम्पा, झारखण्ड कराना सुनिश्चित करेंगे। यह online video conferencing इत्यादि के माध्यम से भी की जा सकेगी।

(V) भारत सरकार को आवश्यक प्रतिवेदन उपलब्ध कराया जायेगा।

(VI) ऐसी कार्यान्वयन एजेन्सी जिनका कार्य संतोषप्रद न हो तथा जहाँ आवश्यक सुधार की आवश्यकता हो, तद्नुसार निर्देश अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, कैम्पा निर्गत करें। जहाँ नियंत्री पदाधिकारी के हस्तक्षेप की आवश्यकता हो, उनका ध्यान आकृष्ट किया जाय।

(VII) वित्तीय वर्ष 2021–22 की वार्षिक कार्य योजना की स्वीकृत योजना की प्रारंभिक प्रविष्ट सभी बाउण्ड्री आधारित पॉलीगन पर किया जाय। तदनुसार राशि विमुक्त की जाय।

19. Monitoring: विभिन्न कंडिकाओं में अंकित निर्देशों के साथ–साथ निम्न व्यवस्था भी की जायेगी:–

(क) तृतीय पक्ष मूल्यांकन (बाह्य मूल्यांकन) प्रतिष्ठित संस्थान से कराया जाय।

(ख) विभागीय स्थापित monitoring के अतिरिक्त राज्य सरकार monitor, भारत सरकार के पैट्रन पर योजना monitoring के लिए अधिकृत कर सकती है।

20. (I) निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों द्वारा योजना का सफल कार्यान्वयन निर्धारित भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य को प्राप्त करना सुनिश्चित किया जायेगा।

01/11/2021

(II) निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों के द्वारा कार्यान्वयनाधीन योजनाओं का नियमित निरीक्षण

निर्धारित भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य के अनुरुप करते हुए निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार कार्य सम्पन्न कराया जाएगा।

(III) निरीक्षण प्रतिवेदन प्रत्येक माह की पाँच तारीख तक अपनी नियंत्री पदाधिकारी (अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, कैम्पा, झारखण्ड) को वित्तीय एवं भौतिक प्रगति प्रतिवेदन समर्पित किया जाएगा।

(IV) निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी sub-disbursal से भुगतान ब्यौरा प्राप्त करेंगे।

(V) अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, कैम्पा द्वारा सूचित किया गया है कि योजना पर सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्रदत् है।

(VI) योजना का संक्षिप्त ब्यौरा e-green watch पर नियमित रुप से updated किया जायेगा तथा इसकी समीक्षा की जायेगी।

(VII) सभी भुगतान यथासंभव DBT या सीधे बैंक खाते में श्रमिकों तथा सामग्री आपूर्ति कर्त्ता को किया जायेगा। किसी भी परिस्थिति में नगद भुगतान नहीं किया जायेगा।

(VIII) बैंक स्टेटमेंट भी sub-disbursal का साक्ष्य मस्टर रोल/भाउचर के साथ प्राप्त कर लें ताकि नियमित भुगतान की समीक्षा की जा सके।

(IX) Income tax (IT)/ Service Tax (GST/VAT)/ Mines Royality के तहत जहाँ at-source कटौती करना है, यह कटौती DDO/sub-disbursal सुनिश्चित करेगें तथा ससमय return जमा करेगें।

(X) कंडिका–IX के उल्लंधन में व्यक्तिगत दोष DDO को होगा।

21. मजदूरी का भुगतान श्रम नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग, झारखण्ड सरकार द्वारा निर्धारित अद्यतन दर के अनुरूप किया जायगा। मजदूरी मद में स्वीकृत राशि का व्यय योजना के परिमाणकों के अंतर्गत एवं निर्धारित मजदूरी दर के अनुरूप वास्तविक व्यय तक सीमित रखना सुनिश्चित किया जायेगा।

(II) सभी यंत्र–संयत्र, मशीन उपकरण आदि का भौतिक सत्यापन सुनिश्चित करते हुए वित्तीय नियमों के अनुपालन पश्चात् मशीन उपकरण एवं सामग्रियों का क्रय यथासंभव e-GEMS से किया जाय।

(III) वैसे यंत्र–संयत्र एवं मशीन उपकरण जिनका क्रय यथासंभव e-GEMS के माध्यम से नहीं हो सकता है, उनका क्रय निविदा आमंत्रित करके की जाएगी।

22. COVID-19 के रोकथाम के संबंध में संबंधित वन प्रमंडल पदाधिकारी का यह दायित्व रहेगा कि जहाँ–जहाँ मजदूरों से कार्य लिया जायेगा उनसे Social distancing तथा उनके मास्क का प्रयोग अनिवार्य रखा जायेगा। हैन्डवास इत्यादि की समुचित व्यवस्था की जाय।

23. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि इस योजना अंतर्गत मजदूरी मद में मजदूरों को भुगतान की जाने वाली राशि का भुगतान यथासंभव मजदूरों के बैंक खाते के माध्यम से ही किया जायेगा। साथ ही सामग्री के भुगतान के संबंध में विभागीय पत्रांक–1204 दिनांक– 20.03.2017 का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा। इस संबंध में कंडिका 20 (IV) एवं (VIII) संयुक्त रूप से प्रभावी रहेगी।

24. नियंत्री तथा निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की यह जिम्मेवारी रहेगी, अगर वे देखें कि यदि कोई ऐसी योजना का कार्य के विरुद्ध राशि का व्यय किया जा रहा है, जिसे दूसरे स्रोत से राशि मिल रही है या मिलने जा रही है, तो इसकी निकासी रोककर इसके निराकरण हेतु सूचना अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, कैम्पा को तुरंत देगें। नियंत्री एवं निकासी पदाधिकारी यह सुनिश्चित करेंगें कि योजना में निहित कार्यों का दोहरीकरण न हों। अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, कैम्पा के निर्देशों का पालन किया जाय।

25. योजनाओं में सामग्री का क्रय वित्त विभाग द्वारा समय–समय पर निर्गत दिशा–निर्देश एवं वित्तीय नियमों तथा वन एवं पर्यावरण विभाग के संकल्प संख्या–940 दिनांक 16.03.1992 द्वारा क्षेत्रीय मुख्य

Sanjay 01/11/2021

वन संरक्षक/ मुख्य वन संरक्षक की अध्यक्षता में गठित क्रय समिति की अनुशंसाओं के अनुसार की जाएगी। इस संबंध में कंडिका 20 (VII) का भी अनुपालन किया जायेगा।

26. इस योजनांतर्गत वानिकी कार्यों का संपादन विभागीय अधिसूचना संख्या–2371 दिनांक 05.05.2015 में निरुपित प्रावधानों के तहत सक्षम प्राधिकार से अनुमोदित दर पर किया जायेगा तथा योजनान्तर्गत किये जानेवाले ऐसे कार्य जिनकी दर विभागीय अधिसूचना सं0–2371 दिनांक 05.05.2015 में निरुपित प्रावधानों के कार्यक्षेत्र से बाहर है, की दर का निर्धारण योजना के नियंत्री पदाधिकारी द्वारा वित्त विभाग के द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुरुप किया जायेगा तथा विभागीय कार्यालय आदेश संख्या–सह–ज्ञापाक–686, दिनांक–05.02.2016 द्वारा विभाग के अंतर्गत वृक्षारोपण कार्यों को छोड़कर अन्य कार्यों तथा सेवाओं के लिए गठित Procurement Committee की अनुशंसा के अनुरुप कार्रवाई की जायेगी।

27. प्रतिकरात्मक वनरोपण निधि अधिनियम–2016 एवं प्रतिकरात्मक वनरोपण निधि नियमावली–2018 में निहित प्रावधानों का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा।

28. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा Account Code Vol (III) की धारा 288 के अनुसार अपने कार्यालय का मासिक लेखा आगामी माह की 5वीं तारीख तक महालेखाकार कार्यालय में जमा करना सुनिश्चित किया जायेगा तथा लेखा का त्रैमासिक Reconciliation ससमय निश्चित रूप से कराना सुनिश्चित किया जायेगा।

29. स्वीकृत राशि का भुगतान वित्त विभागीय पत्रांक–3542, दिनांक–19.12.2013 में निरूपित प्रावधानों के अनुरुप किया जायेगा ।

इस आवंटन आदेश में उल्लिखित शर्त्तों तथा राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त स्वीकृत्यादेश संख्या – 04/कैम्पा–03/2021–08/स्वी0 दिनांक 13.09.2021 जो इस कार्यालय के ज्ञापांक 356 दिनांक 14.09.2021 द्वारा प्रेषित है में उल्लिखित शर्त्तों का दृढ़तापूर्वक अनुपालन सुनिश्चित करने का उत्तरदायित्व निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी व उनके संबंधित वन संरक्षक/क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक का होगा।

अनुलग्नक :– यथोक्त।

आपका विश्वासी,

Sanjay 01/11/2021

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक,
कैम्पा, झारखण्ड, राँची।

ज्ञापांक– 19M(02)CAMPA(2021-22)- 465 **दिनांक–** 01/11/2021.

प्रतिलिपिः– अनुलग्नक की प्रति सहित क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, दुमका/ वन संरक्षक, प्रादेशिक अँचल, दुमका/ इनविस सेन्टर, डोरण्डा, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनुलग्नक :– यथोक्त।

Sanjay 01/11/2021

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक,
कैम्पा, झारखण्ड, राँची।

ज्ञापांक– 19M(02)CAMPA(2021-22)- 465 **दिनांक–** 01/11/2021.

प्रतिलिपिः– अनुलग्नक की प्रति सहित कोषागार पदाधिकारी, गोड्डा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनुलग्नक :– यथोक्त।

Sanjay 01/11/2021

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक,
कैम्पा, झारखण्ड, राँची।

अनुलग्नक - 1

झारखण्ड कैम्पा

वार्षिक कार्य योजना 2021–22 : उपशीर्ष "02–प्रतिकरात्मक वनरोपण"

(मजदूरी दर : रू0 311.33 प्रति मानव दिवस)

(राशि लाख में)

क्र0 सं0	निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी	क्षतिपूरक / दण्डात्मक क्षतिपूरक वनरोपण का अग्रिम कार्य एवं शर्तीय अनुपालन से संबंधित अन्य कार्य (अग्रिम कार्य) — शर्तीय स्वीकृत कार्यों का अनुपालन — जल संचयन संरचना का निर्माण				सकल योग		
		भौतिक लक्ष्य (संख्या)	मजदूरी	आपूर्ति एवं सामग्री	कुल राशि	मजदूरी	आपूर्ति एवं सामग्री	कुल राशि
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	वन प्रमण्डल पदाधिकारी, गोड्डा वन प्रमण्डल, गोड्डा	15.000	60.00000	90.00000	150.00000	60.00000	90.00000	150.00000
	सकल योग	**15.000**	**60.00000**	**90.00000**	**150.00000**	**60.00000**	**90.00000**	**150.00000**

Sanjay 17/11/2021

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक,

कैम्पा, झारखण्ड, राँची।

अनुलग्नक - 2

वित्तीय वर्ष 2021-22 में आवंटित राशि की विवरणी :-

माँग सं० - 19 वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग

Sl No	TREASURY	DDO CODE	DDO NAME	DDO DESG	19S24060410302010103 मजदूरी	19S24060410302010323 आपूर्ति एवं सामग्री	Total
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Godda	GDDFOR164	Patruni Rajendra Naidu	Dfo Godda Forest Division	₹60,00,000.00 (56078)	₹90,00,000.00 (56080)	₹1,50,00,000.00

कुल आवंटित राशि :- ₹1,50,00,000.00 (,d djksM ipkl yk[k) रूपये मात्र |

टिप्पणी :- (#) को आवंटन ऐक्सेस नंबर समझा जाए

Sanjiv Kumar 01/11/2021

(SANJEEV KUMAR)

ADDI.PCCF.CAMPA JHARKHAND RANC

Addl. PCCF CAMPA
Jharkhand, Ranchi

अनुलग्नक - 3

आवंटन आदेश

झारखंड सरकार

चालू वित्तीय वर्ष 2021-22 में व्यय हेतु निम्नांकित दर्शाए गए बजट शीर्ष के सामने अंकित राशि आवंटित की जाती है

।

पत्र संख्या - 19M02CAMPA-2021/465 दिनांक - 01-Nov-2021

क्रमांक	विपत्र कोड	एक्सेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
1	S 19 24060410302010103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 04 - वन रोपण तथा पारिस्थितिकी विकास 103 - राज्य प्रतिकरात्मक वनरोपन 02 - प्रतिकरात्मक वनरोपण 01-प्रतिकरात्मक वनरोपण 01 - वेतन एवं भत्ते State Scheme : NA Centeral Scheme : NA	56078	GDDFOR164 PATRUNI RAJENDRA NAIDU DFO GODDA FOREST DIVISION 03 - मजदूरी	6,000,000.00 रुपये साहठ लाख
2	S 19 24060410302010323 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 04 - वन रोपण तथा पारिस्थितिकी विकास 103 - राज्य प्रतिकरात्मक वनरोपन 02 - प्रतिकरात्मक वनरोपण 01-प्रतिकरात्मक वनरोपण 03 - प्रशासनिक व्यय State Scheme : NA Centeral Scheme : NA	56080	GDDFOR164 PATRUNI RAJENDRA NAIDU DFO GODDA FOREST DIVISION 23 - आपूर्ति एवं सामग्री	9,000,000.00 रुपये नब्बे लाख

योग: 15,000,000.00

रुपये एक करोड पचास लाख

क्रमिक योग:

Sanjeev Kumar 01/11/2021

(SANJEEV KUMAR)

ADDl PCCF CAMPA JHARKHAND

RANC

Addl. PCCF. CAMPA
Jharkhand, Ranchi

 117.99.23.2.48 Run Date: 1/11/2021